[2021] 9 एस. सी. आर. 152

अंजलि राठी और अन्य

वी.

आज के घर और इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड।

और अन्य

(2019 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 12150)

8 सितंबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, विक्रम नाथ

और हिमा कोहली, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016: एस. 14-याचिकाकर्ता एक समूह आवास परियोजना में घर खरीदार हैं समझौते के अनुसार अपार्टमेंट नहीं सौंपे गए-याचिकाकर्ताओं ने राष्ट्रीय आयोग (एन. सी. डी. आर. सी.) के समक्ष उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई -

एन. सी. डी. आर. सी. ने ब्याज निष्पादन कार्यवाही के साथ धन की वापसी का निर्देश दिया-पहले प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एन. सी. डी. आर. सी. के आदेश को चुनौती दी और पहले प्रतिवादी के पक्ष में रोक लगा दी गई।

प्राधिकरण ने एस को स्वीकार किया। 9 याचिका जिसके बाद निगम

दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की गई और एस के तहत स्थगन घोषित किया गया। 14 आई. बी. सी.-एन. सी. एल. टी. के इस आदेश के परिणामस्वरूप कुछ अन्य घर खरीदारों द्वारा विशेष अनुमति याचिका दायर की गई जिसमें शिकायत की गई थी कि कॉर्पोरेट की शुरुआत के लिए आवेदन दायर किया गया था।

पहले प्रत्यर्थी के खिलाफ दिवालियापन केवल एन. सी. डी. आर. सी. के आदेश के संदर्भ में घर खरीदारों को देय राशि की वापसी को रोकने के लिए था-याचिकाकर्ताओं ने समाधान पेशेवर सी. ओ. सी. द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देने से पहले अपने दावे दर्ज किए जो घर खरीदारों के संघ द्वारा प्रस्तुत किया गया था-समाधान पेशेवर द्वारा समाधान योजना की मंजूरी के लिए आवेदन दायर किया गया था।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और कुछ आपत्तियां प्राप्त हुईं-कार्यवाही अब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, एस के तहत इसकी मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही है। 31 (1) आई. बी. सी. की-यदि याचिकाकर्ताओं को समाधान योजना पर कोई आपत्ति है, तो उन्हें उन्हें न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना है-एन. सी. एल. टी. को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि अनुमोदन के लिए आवेदन का शीघ्र निपटान किया जाए-क्योंकि समाधान योजना को अभी भी न्यायनिर्णायक द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

एस के प्रावधानों के तहत प्राधिकरण। 31 (1) आई. बी. सी. का, इस स्तर पर, व्यक्तिगत संलग्नक के लिए निर्देश जारी करना उचित नहीं माना जाता है।

152 अंजलि राठी और ओआरएस। वी. आज के घर और इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

प्रवर्तकों की संपत्तियाँ-समाधान योजना के बाद एस के प्रावधानों के तहत अनुमोदित किया जाता है। 31 (1) , वैधानिक प्रावधान से उत्पन्न होने वाले परिणाम घर खरीदारों के लाभ के लिए होंगे इसके अलावा, क्योंकि पहले प्रतिवादी के संबंध में घोषित अधिस्थगन धाराओं के तहत काम करना जारी रखता है। 14 आई. बी. सी. के तहत, कॉर्पोरेट ऋणदाता के खिलाफ कोई नई कार्यवाही नहीं की जा सकती है या लंबित कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है-याचिकाकर्ताओं को एस. के तहत स्थगन द्वारा रोका नहीं जाएगा। 14 इस न्यायालय के समक्ष हुए समझौतों का सम्मान करने के संबंध में प्रथम प्रतिवादी के प्रवर्तकों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने से आई. बी. सी.-हालाँकि, यह न्यायालय एक समाधान योजना पर भरोसा करते हुए ऐसा निर्देश जारी नहीं कर सकता है जो अभी भी एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदन के लिए लंबित है।

विशेष अनुमति याचिकाओं और अपील का निपटारा करते हुए,

अदालत पकड़नाः 1. इस न्यायालय के समक्ष तथ्यों के परिप्रेक्ष्य से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं ने पहले भी कार्यवाही में भाग लिया है

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, आई. बी. सी. की धारा 31 (1) के तहत इसकी मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहा है। यदि याचिकाकर्ताओं को समाधान योजना पर कोई आपत्ति है, तो उन्हें उन्हें न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। एन. सी. एल. टी. को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि अनुमोदन के लिए आवेदन का शीघ्रता से और अधिमानतः छह साल की अवधि के भीतर निपटारा किया जाए। सप्ताह इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख बनाते हैं। [पैरा

12] [159 - जी-एच; 160-ए]

2. याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया कि इस न्यायालय को वर्तमान स्तर पर निर्देश देना चाहिए कि समाधान योजना में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रवर्तकों की व्यक्तिगत संपत्तियों को कुर्क किया जाए जो पहले निकाले गए हैं। समाधान योजना को अभी भी आई. बी. सी. की धारा 31 (1) के प्रावधानों के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी है। इसलिए, इस स्तर पर, जब समाधान योजना अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही है, तो यह उचित नहीं होगा

इस न्यायालय द्वारा उस प्रकार का निर्देश जारी करने के लिए। धारा 31 (1) के प्रावधानों के तहत समाधान योजना को मंजूरी मिलने के बाद, वैधानिक प्रावधान से उत्पन्न होने वाले परिणाम

इससे घर खरीदारों को लाभ होगा। इसके अलावा, [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रथम उत्तरदाता निगमित के संबंध में घोषित अधिस्थगन

देनदार आई. बी. सी. की धारा 14 के तहत काम करना जारी रखता है, कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कोई नई कार्यवाही नहीं की जा सकती है या लंबित कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है। [पारस 13,14] [160-ए-डी]

पी. मोहनराज बनाम शाह ब्रदर्स। इस्पात (पी) लिमिटेड (2021) 6 एस. सी. सी.

258 - पर भरोसा किया।

3. याचिकाकर्ताओं को रोका नहीं जाएगा

आई. बी. सी. की धारा 14 के तहत इस न्यायालय के समक्ष हुए समझौतों का सम्मान करने के संबंध में प्रथम प्रतिवादी निगमित देनदार के प्रवर्तकों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने पर रोक। हालाँकि, यह न्यायालय एक समाधान योजना पर भरोसा करते हुए ऐसा निर्देश जारी नहीं कर सकता है जो अभी भी लंबित है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन। [पैरा 15] [162-बी-सी]

मामला कानून संदर्भ

(2021) 6 एस. सी. सी. 258

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

असाधारण/अपीलीय न्यायनिर्णयः एसएलपी (सी)

2019 का सं. 12150।

उच्च न्यायालय के 27.03.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 के सीएम (एम) No.494 में नई दिल्ली में।

के साथ

2019 की सिविल अपील Nos.5231-5238 और एसएलपी (सी) डायरी No.45043

2019 से।

पवनश्री अग्रवाल, अधिवक्ता। याचिकाकर्ताओं के लिए। हिमांशु सतीजा, ई. सी. अग्रवाल, मनोज यादव, सुशील कौशिक,

रणबीर सिंह यादव, श्रीमती शाली भसीन, आयुष शर्मा, आदित्य परोलिया, पीयूष सिंह, नितिन चंद्रन, अक्षय श्रीवास्तव, सुश्री अदिति सिन्हा, राजेश कुमार, गौरव गोयल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

अंजलि राठी और ओआरएस। वी. आज के घर और इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. याचिकाकर्ता एक समूह आवास परियोजना में घर खरीदार हैं।

सेक्टर 73, गुड़गांव में कैनरी ग्रीन्स को पहले उत्तरदाता द्वारा विकसित किया जा रहा है। ग्यारह याचिकाकर्ताओं और पहले प्रतिवादी के बीच घर खरीदार समझौते किए गए थे। समझौतों के खंड 21 में परिकल्पना की गई थी कि अपार्टमेंट का कब्जा छत्तीस महीने की अवधि के भीतर दिया जाएगा, जो लगभग सभी मामलों में 2014 में होना था।

2. याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि परियोजना थी

डेवलपर द्वारा छोड़ दिया गया। नतीजतन, उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 2 के समक्ष ब्याज के साथ अपने धन की वापसी के लिए कार्यवाही शुरू की। 12 जुलाई 2018 को एन. सी. डी. आर. सी प्रथम प्रतिवादी को चार सप्ताह के भीतर लागत के साथ जमा की तारीख से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ याचिकाकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई मूल राशि को वापस करने का निर्देश देकर उनके दावे की अनुमति दी। यदि निर्धारित अवधि के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो ब्याज को बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रावधान था। एन. सी. डी. आर. सी. के इस आदेश को अंतिम रूप मिल गया है।

3. अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत निष्पादन कार्यवाही 3

याचिकाकर्ताओं द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 19864 की स्थापना की गई थी। एन. सी. डी. आर. सी. ने 7 सितंबर 2018 को नोटिस जारी किया। इस बीच, एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा 23 अक्टूबर 2018 को उसी आवास परियोजना में अन्य घर खरीदारों से संबंधित अलग-अलग निष्पादन कार्यवाही में कुछ आदेश पारित किए गए थे। पहले प्रतिवादी ने एन. सी. डी. आर. सी. के इस आदेश को चुनौती दी। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष, और 19 नवंबर 2018 के एक आदेश द्वारा, 23 अक्टूबर 2018 के एन. सी. डी. आर. सी. के आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी।

4. याचिकाकर्ताओं द्वारा शुरू की गई निष्पादन कार्यवाही थी

एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा 13,25 और 26 फरवरी 2019 को स्थगित कर दिया गया। 27 फरवरी 2019 को निर्णय देनदार द्वारा कुछ निपटान शर्तों की पेशकश की गई थी, जो डिक्री धारकों को स्वीकार्य नहीं थीं। 5 मार्च 2019 को प्रस्तावों का पता लगाने के लिए कार्यवाही फिर से स्थगित कर दी गई।

2018 के 3 ई. ए. संख्या 158,159,161-162,164-166 और 168 4 "कोप्रा" 5 2018 की सीएम (एम) संख्या 1391 [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रथम उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत। आखिरकार, 11 मार्च 2019 को, चूंकि कोई समझौता नहीं हुआ था, पहले के प्रबंध निदेशक प्रतिवादी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। पहले प्रतिवादी ने एन. सी. डी. आर. सी. के उस आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की जिसमें प्रबंध निदेशक की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता थी। 27 मार्च 2019 के एक आदेश द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया और यह भी निर्देश जारी किया कि एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा पारित 11 मार्च 2019 के आदेश के संदर्भ में पहले प्रतिवादी के प्रबंध निदेशक के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाएंगे। इसने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिकाओं के समूह में पहली बार जन्म दिया है, जिसका नाम 2019 की एसएलपी (सी) संख्या 12150 है।

5. 1 अप्रैल 2019 को, एन. सी. डी. आर. सी. ने एक और आदेश पारित किया

निष्पादन कार्यवाही का पाठ्यक्रम। आदेश का अनुच्छेद 14 नीचे दिया गया है:

" चूंकि निर्णय देनदार पूरी राशि वापस करने में विफल रहा है

इस आयोग द्वारा 12 जुलाई, 2018 के अपने आदेश में दिए गए निर्देश के अनुसार, हम निर्णय देनदार को पूरी राशि वापस करने का निर्देश देते हैं।

अभिरक्षा में लिया जाएगा और निर्णय की सभी संपत्तियां ऋणदाता और निर्णय ऋणदाता की व्यक्तिगत संपत्तियाँ

कुर्क किया जाएगा और उससे डिक्रिटल राशि वसूल की जाएगी।

हालाँकि, हिरासत और कुर्की में लेने का यह आदेश

सम्पत्ति का प्रभाव माननीय के बाद ही प्रभावी किया जाएगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय इस मामले का फैसला करता है।

(जोर दिया गया)

इस प्रकार, निष्पादन आवेदनों का निपटारा कर दिया गया। का आदेश

एन. सी. डी. आर. सी. के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं/अपीलार्थियों द्वारा एन. सी. डी. आर. सी. के अंतिम निर्देश को चुनौती देने के सीमित उद्देश्य के लिए इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई है, अर्थात, पहले प्रतिवादी के प्रबंध निदेशक की अभिरक्षा और पहले प्रतिवादी की संपत्तियों की कुर्की का आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पहले प्रतिवादी की याचिका पर निर्णय लेने के बाद ही प्रभावी होगा।

6. इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान,

दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश से कुछ घटनाक्रम हुए। 1 जुलाई 2019 को 2019 की एसएलपी (सी) संख्या 12150 में नोटिस जारी किया गया था।

6 2018 की सीएम (एम) संख्या 494 अंजलि राठी और ओआरएस।

वी. आज के घर और इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी गई। 11 सितंबर को 2019 , न्यायालय को सूचित किया गया कि सात याचिकाकर्ताओं ने अपने विवाद का निपटारा कर लिया है और अन्य के साथ एक समझौते की संभावना है।

7. इस बीच, 31 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष पहले प्रतिवादी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई।

एक परिचालन लेनदार द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 की धारा 9 के तहत। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की गई और आई. बी. सी. की धारा 14 के तहत स्थगन घोषित किया गया। एन. सी. एल. टी. की विशिष्ट दिशा इस प्रकार थीः

" (क) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थता पैनल या अन्य प्राधिकरण में किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के निष्पादन सहित कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ लंबित मुकदमों या कार्यवाही की स्थापना या निरंतरता;
(बी) कॉर्पोरेट देनदार द्वारा अपनी किसी भी संपत्ति या किसी भी कानूनी अधिकार या लाभकारी का हस्तांतरण, बोझ, अलगाव या निपटान करना।

उसमें ब्याज;

परिसंपत्तियाँ और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002;
(घ) किसी स्वामी या पट्टेदार द्वारा किसी संपत्ति की वसूली, जहां ऐसी संपत्ति पर निगमित देनदार का कब्जा है या उसके कब्जे में है। " " "

एन. सी. एल. टी. के इस आदेश के परिणामस्वरूप इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई, जो कुछ अन्य घर खरीदारों द्वारा 2019 की एस. एल. पी. (सी) डायरी संख्या 45043 थी। इस याचिका में शिकायत की गई है कि पहले प्रतिवादी के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालियापन की शुरुआत के लिए दायर आवेदन केवल 12 जुलाई 2018 के एन. सी. डी. आर. सी. के आदेश के अनुसार, घर खरीदारों को देय राशि की वापसी को रोकने के लिए था।

9. इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, 8 जुलाई 2021 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि ऋणदाताओं की समिति की एक बैठक दो सप्ताह की अवधि के भीतर बैठक बुलाई गई ताकि इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सके कि क्या कोई भी समाधान योजना उसे स्वीकार्य है या नहीं। सी. ओ. सी. में केवल घर खरीदारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जिसमें कोई वित्तीय संस्थान शामिल नहीं होता है। आर. पी. की ओर से पेश हुए वकील श्री हिमांशु सतीजा ने अदालत को बताया कि सी. ओ. सी. ने समाधान योजना को मंजूरी दी, जिसे घर खरीदारों के संघ द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 21 अगस्त 2021 को एक आवेदन था

10. याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री पवनश्री अग्रवाल पेश होते हैं। श्री हिमांशु सतीजा आरपी के लिए उपस्थित होते हैं। श्री मनोज यादव के लिए उपस्थित होते हैं दूसरे से छठे उत्तरदाता, घर खरीदारों का एक समूह। श्री अक्षय श्रीवास्तव और श्री आयुष शर्मा ने अन्य घर खरीदारों की ओर से हस्तक्षेप किया है।

11. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील पवनश्री अग्रवाल ने कहा कि इससे पहले की कार्यवाही के दौरान

इस न्यायालय में, समझौते किए गए थे और इसलिए इसके प्रवर्तकों

10 " आरपी "11" सीओसी "अंजलि राठी और ओआरएस। वी. आज के घर और इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

निगमित ऋणदाता, अर्थात् प्रथम प्रत्यर्थी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

व्यक्तिगत रूप से समझौतों का सम्मान करने के लिए, विशेष रूप से 1 अप्रैल 2019 के आदेश को ध्यान में रखते हुए, जिसे निष्पादन कार्यवाही के दौरान एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा पारित किया गया था। इस संदर्भ में, समाधान योजना के पैराग्राफ 10 (जी) पर निर्भरता रखी गई है जिसे सीओसी द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित शर्त शामिल हैः

" 10 (जी)। हालांकि, पूर्ववर्ती प्रबंधन, प्रवर्तक (डी ज्यूर)

या वास्तव में), शेयरधारक, प्रबंधक, निदेशक, अधिकारी, कर्मचारी, कर्मचारी या अन्य कर्मचारी जो टी. एच. आई. पी. एल. की सी. आई. आर. पी. शुरू होने की तारीख को या उससे पहले प्रभारी थे, सभी देनदारियों, दावों, मांग, दायित्वों, दंड के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे। (i) किसी भी कार्यवाही, पूछताछ, जांच, आदेश, कारण, नोटिस, वाद, मुकदमेबाजी आदि (जिसमें एन. सी. एल. टी. या किसी अन्य अदालत/विभाग द्वारा पारित किसी भी आदेश से उत्पन्न होने वाले आदेश शामिल हैं या संहिता के प्रावधानों के अनुसार या एस. ई. बी. आई. द्वारा पारित/लगाए गए किसी भी आदेश के अनुसार), चाहे दीवानी या आपराधिक, किसी भी प्राधिकरण, अदालत, न्यायाधिकरण या किसी अन्य मंच के समक्ष लंबित हो, जो टी. एच. आई. पी. एल. पर समाधान आवेदक द्वारा नियंत्रण के अधिग्रहण से पहले, या (ii) जो किसी भी कार्यवाही, पूछताछ, जांच, आदेश, कारण, नोटिस, मुकदमेबाजी आदि से उत्पन्न हो सकता है (जिसमें संहिता के प्रावधानों के अनुसार एन. सी. एल. टी. या किसी अन्य अदालत/विभाग द्वारा पारित किए जाने वाले किसी भी आदेश शामिल हैं।

और/या समाधान आवेदक को किसी भी समय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इसके संबंध में जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

12. इस न्यायालय के समक्ष तथ्यों के परिप्रेक्ष्य से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं ने आर. पी. के समक्ष कार्यवाही में भाग लिया है और बाद में,

सीओसी। समाधान योजना जो घर खरीदारों के संघ द्वारा प्रस्तुत की गई है, सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित है और कार्यवाही अब न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, इसकी मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही है।

आईबीसी की धारा 31 (1) के तहत। यदि याचिकाकर्ताओं को कोई आपत्ति है

समाधान योजना, उन्हें न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना है। हम एन. सी. एल. टी. को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि अनुमोदन के लिए आवेदन [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर तेजी से और अधिमानतः निपटान किया जाता है। 13. याचिकाकर्ताओं के वकील ने आग्रह किया कि इस अदालत को वर्तमान स्तर पर निर्देश देना चाहिए कि प्रवर्तकों की व्यक्तिगत संपत्तियां

समाधान योजना में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए संलग्न किया गया है जो पहले निकाले गए हैं। समाधान योजना को अभी भी आई. बी. सी. की धारा 31 (1) के प्रावधानों के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी है। इसलिए, इस स्तर पर, जब समाधान योजना अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रही है, तो इस न्यायालय के लिए उस प्रकार का निर्देश जारी करना उचित नहीं होगा। धारा 31 (1) के प्रावधानों के तहत समाधान योजना को मंजूरी मिलने के बाद, वैधानिक प्रावधान से उत्पन्न होने वाले परिणाम घर खरीदारों के लाभ के लिए होंगे। इसलिए, हम पहले ही निर्देश दे चुके हैं कि एन. सी. एल. टी. इस पर दायर अनुमोदन आवेदन का निपटारा करेगी।

21 अगस्त 2021, इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर।

14. इसके अलावा, चूंकि पहले प्रतिवादी कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में घोषित अधिस्थगन की धारा 14 के तहत काम करना जारी है। आई. बी. सी. में, निगमित देनदार के खिलाफ कोई नई कार्यवाही नहीं की जा सकती है या लंबित कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है। आई. बी. सी. की धारा 14 (1) इस प्रकार हैः

" 14. अधिस्थगन। (1) उप-धारा (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, दिवाला शुरू होने की तारीख को, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आदेश द्वारा सभी को प्रतिबंधित करने के लिए स्थगन की घोषणा करेगा।

निम्नलिखित, अर्थात् -
(क) निगमित ऋणी के विरुद्ध किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण में किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के निष्पादन सहित मुकदमों की स्थापना या लंबित मुकदमों या कार्यवाही को जारी रखना,

मध्यस्थता पैनल या अन्य प्राधिकरण;

(बी) निगमित देनदार द्वारा अपनी किसी भी संपत्ति या उसमें किसी भी कानूनी अधिकार या लाभकारी ब्याज का हस्तांतरण, बोझ, अलगाव या निपटान;
(ग) किसी भी सुरक्षा हित को रोकने, पुनर्प्राप्त करने या लागू करने के लिए कोई कार्रवाई।

निगमित देनदार द्वारा अपनी संपत्ति के संबंध में बनाया गया जिसमें वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54); अंजलि राठी और ओ. आर. एस. के तहत कोई कार्रवाई शामिल है।

वी. आज के घर और इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड। और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

(घ) मालिक या पट्टेदार द्वारा किसी संपत्ति की वसूली जहाँ

ऐसी संपत्ति पर निगम का कब्जा है या उसके कब्जे में है। ऋणी "।

(जोर दिया गया)

15. हालाँकि, इस मोड़ पर, हमें इस अधिकार को स्पष्ट करना होगा

याचिकाकर्ताओं को पहले प्रतिवादी कॉर्पोरेट देनदार के प्रवर्तकों के खिलाफ कदम उठाना चाहिए, भले ही आईबीसी की धारा 14 के तहत स्थगन घोषित किया गया हो। पी. मोहनराज बनाम के निर्णय में। शाह ब्रदर्स। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि निगमित ऋणदाता के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 और 141 के तहत कार्यवाही आई. बी. सी. की धारा 14 के तहत स्थगन प्रावधान के दायरे में आएगी। हालाँकि, इसने स्पष्ट किया कि स्थगन केवल निगमित ऋणदाता (जैसा कि ऊपर बताया गया है) के संबंध में था और निगमित ऋणदाता के निदेशकों/प्रबंधन के संबंध में नहीं था, जिनके खिलाफ कार्यवाही जारी रह सकती थी। न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन के माध्यम से बोलते हुए, अदालत ने कहाः

" 102. चूँकि निगमित देनदार द्वारा कवर किया जाएगा

धारा 14 आई. बी. सी. में निहित अधिस्थगन प्रावधान, जिसके द्वारा निगम के खिलाफ धारा 138/141 कार्यवाही की निरंतरता

देनदार और धारा 138/141 के खिलाफ कार्यवाही की शुरुआत कहा कि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान देनदार हैं

हस्तक्षेप किया गया, जो अनीता हाड़ा में पैरा 51 और 59 में कहा गया है

[अनीता हाडा बनाम। गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स (पी) लिमिटेड, (2012) 5 एससीसी 661: (2012) 3 एससीसी (सी. आई. वी.) 350: (2012) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 241]

तब यह लागू होगा। कानूनी बाधा निहित है

धारा 14 आई. बी. सी. में ऐसी कार्यवाही को असंभव बना दिया जाएगा।

अधिस्थगन की अवधि के लिए, क्योंकि कोई धारा 138/141 नहीं है के खिलाफ कार्यवाही जारी रखी जा सकती है या शुरू की जा सकती है

एक सांविधिक प्रतिबंध के कारण निगमित देनदार, जैसे

परक्राम्य लिखत अधिनियम। इस मामले में, यह स्पष्ट है कि धारा 14 आई. बी. सी. में निहित अधिस्थगन प्रावधान

केवल निगमित देनदार, प्राकृतिक व्यक्तियों पर लागू होगा

धारा 141 में उल्लिखित वैधानिक रूप से उत्तरदायी बना हुआ है

परक्राम्य लिखत अधिनियम के अध्याय XVII के तहत।

(जोर दिया गया)

हम इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं को इस द्वारा रोका नहीं जाएगा

आई. बी. सी. की धारा 14 के तहत कार्यवाही शुरू करने पर रोक इस न्यायालय के समक्ष हुए समझौतों का सम्मान करने के संबंध में प्रथम प्रतिवादी निगमित देनदार के प्रवर्तकों के विरुद्ध। हालाँकि, जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, यह न्यायालय एक समाधान योजना पर भरोसा करते हुए ऐसा निर्देश जारी नहीं कर सकता है जो अभी भी एक न्यायनिर्णायक के समक्ष अनुमोदन के लिए लंबित है।

प्राधिकरण।

16. उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, 2019 की एसएलपी (सी) संख्या 12150

और 2019 की एस. एल. पी. (सी) डायरी संख्या 45043 के साथ-साथ सिविल अपील, जो कि 2019 की सिविल अपील संख्या 5231-5238 है, का निपटारा किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं को उन उपायों का सहारा लेने की स्वतंत्रता दी जाती है जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्णय के बाद कानून में उपलब्ध हैं।

धारा 31 (1) के तहत अनुमोदन आवेदन, और उसके बाद के परिणाम के अधीन।

17. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

एस. एल. पी. और

अपील का निपटारा